

सामान्य सूचना

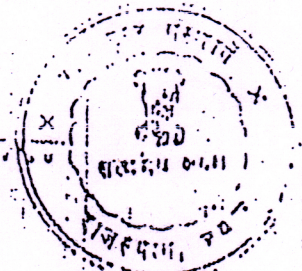


रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

क्रमांक: १७७७.१७७७.१७.१७

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नानुसार पञ्जीकृत सौभाग्यी: कोटा
..... जिला कोटा
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम
नं. २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाणित है कि हर साक्षरी और कर्मचारी को सोच से वास्तव
दिनांक चौबीस ग्राह राज एक हजार नौ सौ
जयपुर में दिया गया ।



॥ के. सी. भार्गव ॥
रजिस्ट्रार संस्थाये, राजस्थान,
जयपुर ।

Henry
SECRETARY
Nalanda Education Society
Anantpura, Kota

Heilac
Direct

.....
.....
.....